

FAX

महत्वपूर्ण

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
अपर सचिव,

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर/सीवान/मुजफ्फरपुर/पश्चिम चम्पारण/मधुबनी/समस्तीपुर/
मधेपुरा/सुपौल/नालंदा/नवादा/जहानाबाद/औरंगाबाद /
सहरसा/गोपालगंज।

पटना-15, दिनांक- 28/12/12

विषय:

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2235-60-200-0008- गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने अथवा आवंटित की गई राशि को वापस करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4374/आ0प्र0 दिनांक 29.10.12 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2235- 60-200-0008- गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित की गई है:-

क्र0	जिला	आवंटित राशि	क्र0	जिला	आवंटित राशि
1	बक्सर	2.00	2	सीवान	4.50
3	मुजफ्फरपुर	4.50	4	पश्चिम चम्पारण	10.50
5	मधुबनी	10.50	6	समस्तीपुर	3.00
7	मधेपुरा	7.50	8	सुपौल	12.00
9	नालंदा	9.00	10	नवादा	4.50
11	जहानाबाद	17.075	12	औरंगाबाद	7.00
13	सहरसा	2.00	14	गोपालगंज	1.50
कुल योग		95.575 (पनचानवे लाख सनतावन हजार पाँच सौ)			

2. सी0टी0एम0आई0एस0 से प्राप्त व्यय विवरणी के अनुसार अभी तक उक्त मद के अन्तर्गत मात्र 59.00 लाख (उनसठ लाख रूपये) का ही व्यय प्रतिवेदित हो रहा है। ऐसी स्थिति में राशि उपबंधित कराने में कठिनाई है। राशि उपबंधित नहीं हो पाने की स्थिति में उक्त मद के अन्तर्गत जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभाग द्वारा आवंटन निर्गत नहीं किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि का यदि व्यय हो गया हो, तो व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा आवंटित की गई राशि को विभाग को वापस करने की कृपा की जाय।

कृपया अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन
(राजीव कुमार सिंह)
अपर सचिव